झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401

Telefax – 06541-223690, Email – cfchatra@gmail.com

पत्रांक – 1763 दिनांक – 08/07/2017

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय– चतरा जिला के मौजा डाढ़ा में 132/33 के.भी. ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक 1536 दिनांक 07.06.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 2514 दिनांक 06.07.2017 द्वारा चतरा के मौजा डाढ़ा में 132/33 के0भी0 ग्रीड सब स्टेशन निर्माण हेतु प्रस्ताव पर झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पत्रांक वनभूमि–09/2017 2256/व0प0 रॉची दिनांक 29.05.2017 द्वारा स्टेज I की स्वीकृति 12 शर्तों के साथ दी गई है, जिसके आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित स्टेज I के 12 शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन पर अपने मंतव्य के साथ इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन की सात प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। वन प्रमंडल पदाधिकारी के मंतव्य से अधोहस्ताक्षरी सहमत है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग
प्राप्तांक....3888
दिनांक....11-7-17

MOMENTUM JHARKHAND
झारखण्ड सरकार

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,

फोन नं0. 06546-223962, Email- rccf_hzb@yahoo.co.in, rccfhaz@jharkhandmail.gov.in

Balo 14/7/17

14/7/17 urgent

पत्रांक : 1874 दिनांक : 13-07-2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
–सह–
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

विषय : **चतरा के मौजा डाढ़ा में 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव में सरकार द्वारा लगाये गये शर्तो के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 2464 दिनांक 05.06.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के कम में सूचित करना है कि चतरा के मौजा डाढ़ा में 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र संख्या–वनभूमि–09 / 2017 2256 व0प0 दिनांक 29.05.2017 द्वारा 12 शर्तो के साथ सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा के पत्रांक 1763 दिनांक 08.07.2017 द्वारा इन शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित किया है। शर्तवार अनुपालन की स्थिति निम्नवत है :–

क0 सं0	परियोजना का नाम एवं अपयोजित वन भूमि का रकबा (हे0 में)	शर्त	अनुपालन
1	डाढ़ा में 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annexure-A)**
2		प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–डब्लू0पी0(सी0) 202 / 1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होनेवाली 4.04 हे0 वनभूमि के एन0पी0भी0 की राशि वसूलनीय होगी।	इस शर्त के अनुसार अपयोजित होने वाले 4.04 हे0 वनभूमि का NPV@ 6.26 लाख रूपये प्रति हे0 की दर से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल–रू0 25,29,040.00 (पच्चीस लाख उन्नतीस हजार चालीस रूपये) Corporation Bank, Lodhi Road, New Delhi के खाता संख्या SB 01025212 में जमा करते पावती रसीद समर्पित की गई है, जो संलग्न है। **(Annexure-B)**
3		यदि एन0पी0भी0 के दर में कोई संशोधन होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई / अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annexure-C)**

आवती सं0 1750 14/7/17

Dhada Grid sub station dt- 11-07-17

Sanju

4		प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को कैम्पा खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू0 25,29,040 सीधे कैम्पा खाता में जमा करते हुए पावती रसीद समर्पित की गई है। **(Annuxere-B)**
5		प्रस्तावित वनभूमि में ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 141 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जाएग। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों के पातन वन प्रमंडल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी परिस्थिति में 141 वृक्षों से अधिक पातन नहीं किया जाएगा इस संबंध में बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annuxere-D)**
6		ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरान्त जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जहाँ सम्भव हो सकेगा ग्रीड सब–स्टेशन के अन्दर वृक्ष लगाने हेतु वन विभाग के देख रेख में प्राक्कलन तैयार कर वृक्ष लगाने हेतु बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annuxere-E)**
7		भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annuxere-F)**
8		वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annuxere-G)**
9		यदि गैर वनभूमि Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को इंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तद्नुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जांच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annuxere-H)**
10		परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annuxere-I)**
11		अपयोजित होनेवाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annuxere-J)**

12		उपर्युक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	किसी भी शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा नहीं किये जाने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

अनुपालन प्रतिवेदन की छः प्रतियां इस पत्र के साथ अनुशंसा सहित भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक परियोजना के अंतिम स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

अनु0–यथोक्त।

Sanjiv 13/7/17

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

Dhada Grid sub station dt- 11-07-17

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:– 587 दिनांक:– 17.7.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची

विषय : चतरा के मौजा डाढ़ा में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव में सरकार द्वारा लगाये गये शर्तों के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग : वन विभागीय पत्रांक 2256 दिनांक 29.05.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के कम में सूचित करना है कि चतरा के मौजा डाढ़ा में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र संख्या–वनभूमि–09/2017 2256 व0प0 दिनांक 29.05.2017 द्वारा 12 शर्तो के साथ सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 1874 दिनांक 13.07.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा प्रदत्त स्टेज–I में लगाई गई शर्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्नवत् है :–

क0 सं0	शर्तें	अनुपालन
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annexure-A)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या– डब्लू0पी0(सी0) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होनेवाली 4.04 हे0 वनभूमि के एन0पी0भी0 की राशि वसूलनीय होगी।	इस शर्त के अनुसार अपयोजित होने वाले 4.04 हे0 वनभूमि का NPV@ 6.26 लाख रूपये प्रति हे0 की दर से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल–रू0 25,29,040.00 (पच्चीस लाख उन्नतीस हजार चालीस रूपये) Corporation Bank, Lodhi Road, New Delhi के खाता संख्या SB 01025212 में जमा करते पावती रसीद समर्पित की गई है, जो संलग्न है। **(Annexure-B)**
3	यदि एन0पी0भी0 के दर में कोई संशोधन होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annexure-C)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को कैम्पा खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू0 25,29,040 सीधे कैम्पा खाता में जमा करते हुए पावती रसीद समर्पित की गई है। **(Annuxere-B)**

5	प्रस्तावित वनभूमि में ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के कम में वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 141 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जाएग। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों के पातन वन प्रमंडल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी परिस्थिति में 141 वृक्षों से अधिक पातन नहीं किया जाएगा इस संबंध में बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annuxere-D)**
6	ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरान्त जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जहाँ सम्भव हो सकेगा ग्रीड सब–स्टेशन के अन्दर वृक्ष लगाने हेतु वन विभाग के देख रेख में प्राक्कलन तैयार कर वृक्ष लगाने हेतु बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annuxere-E)**
7	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annuxere-F)**
8	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annuxere-G)**
9	यदि गैर वनभूमि Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को इंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तद्नुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा जांच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annuxere-H)**
10	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annuxere-I)**
11	अपयोजित होनेवाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा।	इस शर्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दी गई है, जो संलग्न है। **(Annuxere-J)**
12	उपर्युक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	किसी भी शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा नहीं किये जाने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी। संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण की जायेगी।

इस प्रकार विभाग द्वारा प्रदत्त स्टेज–I में लगाई गई शर्त्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दी गयी है अथवा वचनबद्धता दी गई है। अनुपालन प्रतिवेदन की दो प्रतियाँ इस पत्र के साथ अनुशंसा सहित भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक परियोजना के अंतिम स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। निर्देशानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अनु0ः–यथोक्त।

अनुपालन प्रतिवेदन दो प्रतियों में।

विश्वासभाजन

ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 587 दिनांक : 17.7.17

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची को अनुपालन प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/विद्युत कार्यपालक अभियंता संचरण प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

O/c

17.7.17

Dhada Grid sub station dt- 11-07-17

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 651 दिनांकः– 14.6.18

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– चतरा के मौजा डाढ़ा में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक 487 दिनांक 17.07.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि चतरा के मौजा डाढ़ा में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि अपोजन का प्रस्ताव में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र संख्या–वनभूमि–09/2017 2256 व0प0 दिनांक 29.05.2017 द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 587 दिनांक 17.07.2017 द्वारा आपके कार्यालय को अग्रसारित किया गया है, जिसमें शर्त संख्या 02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा compensatory levies को RTGS के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा किये जाने की सूचना थी। इस कार्यालय के पत्रांक 431 दिनांक 12.04.2018 द्वारा IG, FC-cum-Member secretary Ad-hoc CAMPA को उक्त राशि को Ad-hoc CAMPA में स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया गया था।

उल्लेखनीय है कि DIG Ad-hoc CAMPA के प्रासंगिक पत्र संख्या 1–16/2012–CAMPA दिनांक 07.05.2017 के द्वारा उक्त 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन परियोजना के लिए जमा राशि 25,29,040.00 को Ad-hoc CAMPA में जमा होने के confirm किए जाने की सूचना दी है। वर्तमान में यह online portal पर paid भी दिख रहा है। (छाया प्रति संलग्न)

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन,

[signature] 14.06.2018

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

Manoj 14/06/18

Document1

Office of the Principal Chief Conservator of Forest-cum-Executive Director
Wasteland Development Board, Jharkhand
Van Bhawan, P.O.-Doranda, Jharkhand, Ranchi-834002
Phone No.-0651-2482231, E-mail :- ednodal@yahoo.in

Letter No. : 431 **Date : 12 April, 2018**

To,

The Inspector General of Forests (FC)-cum-Member Secretary,
Ad-hoc CAMPA,
Ministry of Environment, Forest & Climate Change,
4th Floor, Block No.-03, CGO Complex,
New Delhi-110003

Sub : **Confirmation of deposits made in Compensatory Afforestation Fund by User Agency without generating online challan from web portal - Clarification.**

Ref. : **Ad-hoc CAMPA letter No. 1-16/2012-CAMPA dated-12th March, 2018.**

Sir,

With reference to your letter quoted above on the subject, please find enclosed herewith the desired documents i.e. the Stage-I (In-principle) approval letters and Demand letters for compensatory levies raised by the DFOs concerned in respect of proposals in which the levies/ compensatory levies had been deposited in the past by the user agencies in Ad hoc CAMPA Account in Corporation Bank/ Union Bank of India through RTGS/NEFT/Bank Draft mode without generating online challan from web portal as stipulated in the guidelines.

Kindly acknowledge/ accept the deposits made by the user agencies in Ad hoc CAMPA Account without generating online challan from web portal so that the proposals could be processed further.

Enclosure :

1. In-Principle approval letters of the proposals.
2. Demand letters for compensatory levies raised by DFOs for the proposals.

Your Sincerely,

12.04.18

(A.K. Pandey)
PCCF-cum-Executive Director,
Wasteland Development Board,
Jharkhand, Ranchi.

Ad-hoc

Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority

Constituted by the Hon'ble Supreme Court of India, by Order dated 5th May 2006 in IA No.1337 with IA Nos.827, 1122, 1216, 1473 in WP (Civil) No.202 of 1995 : T N Godavarman Thirumalpad Vs Union of India & Ors.

4th floor, Block No.3, CGO Complex, New Delhi – 110 003

Tel No.(011) 24368006. FAX No.(011) 24368007. E-mail : adhoc-campa-mef@nic.in

No.1-16/2012-CAMPA **Dated the 7th April,2018.**

To

Nodal Officer (CAMPA),
O/o Principal Chief Conservator of Forests, cum Executive Director
Wasteland Development board
Government of Jharkhand,
Van Bhawan,P.O. Hinoo, Doranda,
Jharkhand, Ranchi 834002.

Sub.: **Diversion of 4.04 ha of forest land for construction of 132/33 kv Grid Sub-station, Forest Div & Distt Chatra of Jharkhand.**

Sir,

With reference to your letter No.431 [received by post on 17th April,2018] on the subject mentioned above, the following is confirmed as under :-

S.No	Proposal No	PF/JH/Others/22938/2016		
1	Type of deposit (NPV/CA/WMP/other (specify)	Amount	UTR/DD No.	Date of Deposit
a	Compensatory Afforestation	-		-
b	Addl Compensatory Afforestation	-	-	-
c	Penal Compensatory Afforestation	-	-	-
d	Catchment Area Treatment	-	-	-
e	Wildlife Management Plan	-	-	-
f	Addl Charges	-	-	-
g	Net Present Value	Rs. 25,29,040 /-	SBINR52017063000018070	30.6.20
h	Any other charges/levies		-	-
	Total	Rs. 25,29,040 /-		

The above mentioned the credited to SB A/c No.25212 maintained in the name of Compensatory Afforestation Fund – Jharkhand in Corporation Bank, Lodhi Complex, New Delhi – 110 003

Yours faithfull

(Naresh Kuma

Deputy Inspector General of Fores

Copy to:-

1. The Additional Principal Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Ministry Environment Forests and Climate Change, Bungalow No. A-2, Shyamali Colony, Ranchi-834002
2. The Assistant Inspector General of Forests (Shri **Nisheeth Saxena**), Forest Conservation Divisi Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Aliganj, Jor Bagh, New Delhi – 11o 003.
3. PPS to IGF, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Bagh, Aliganj Road, New Delhi-110003.

Online Submission & Monitoring
of Forest and Wildlife Clearance Proposals

16:48:07 Logout

[Role : Nodal Officer]
[State : Jharkhand]

Change

District Collector | Configuration | Add Proposal | Update Proposals,Received Upto 31-12-2011 | Miscellaneous | Downloads
Upload\Publish Documents | Others | Processing of Proposals received on or after 15 July 2014

List of Proposal in which demand of funds have to be verified by Nodal officer

Help

Click on [Upload Demand] this icon to details of the Funds submittted by User Agency.

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.

Paid : This icon shows that the payment has been made.

REJECTED : This icon shows that the demand has been rejected by nodal officer.

Online Help/Query

...als submitted on or after 15th July 2014 | All Proposals submitted upto 14th July 2014

Sno.	Proposal No.	Application No	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Submitted Date	Verify	Status
31	FP/JH/Others/22938/2016	OTHERS229382016736	CONSTRUCTION OF 132/33KV GRID SUB-STATION AT CHATRA	Others	4.04	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED	29-5-2017	16-8-2017	Upload Demand	Paid
32	FP/JH/MIN/10632/2015	MIN106322015689	Jaduguda uranium mines	Mining	134.424	URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED	11-5-2017	12-6-2017	Upload Demand	Paid
33	FP/JH/TRANS/18253/2016	TRANS182532016573	132 kV D/C Simdega-Manoharpur Transmission Line	Transmission Line	26.814	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED	08-5-2017	31-5-2017	Upload Demand	Challa Gener
34	FP/JH/TRANS/18253/2016	TRANS182532016166	132 kV D/C Simdega-Manoharpur Transmission Line	Transmission Line	26.814	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED	08-5-2017	23-5-2017	Upload Demand	REJEC
35	FP/JH/IRRIG/15962/2015	IRRIG159622015425	PUNASI RESERVOIR SCHEME	Irrigation	291.17	WRD JHARKHAND	22-12-2016	20-4-2017	Upload Demand	Paid
36	FP/JH/IRRIG/15962/2015	IRRIG159622015251	PUNASI RESERVOIR SCHEME	Irrigation	291.17	WRD JHARKHAND	22-12-2016	10-4-2017	Upload Demand	Paid
37	FP/JH/IRRIG/15962/2015	IRRIG159622015141	PUNASI RESERVOIR SCHEME	Irrigation	291.17	WRD JHARKHAND	22-12-2016	04-4-2017	Upload Demand	REJEC
38	FP/JH/IRRIG/15962/2015	IRRIG159622015828	PUNASI RESERVOIR SCHEME	Irrigation	291.17	WRD JHARKHAND	22-12-2016	29-3-2017	Upload Demand	Paid
39	FP/JH/IRRIG/15962/2015	IRRIG159622015624	PUNASI	Irrigation	291.17	WRD	22-12-2016	22-3-2017		